राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 776वी बैठक दिनांक 27.03.2023 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 776वी बैठक दिनांक 27.03.2023 को श्री अरूण कुमार भट्‌ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री मुजीबुर्रहमान खान, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	8694/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
2.	9185/2022	1(a)	लाईमस्टोन खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
3.	9560/2022	1(a)	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
4.	9565/2022	1(a)	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
5.	9568/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
6.	9558/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
7.	9571/2023	1(a)	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
8.	9572/2023	1(a)	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
9.	9573/2023	1(a)	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
10.	9574/2023	1(a)	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
11.	9582/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
12.	9583/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
13.	9584/2023	1(a)	फर्शीपत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
14.	6292/2019	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन	संशोधन स्वीकृत
15.	6639/2019	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन	संशोधन स्वीकृत

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्‌ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

16.	9423/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
17.	9490/2022	1(a)	ग्रेनाईट खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
18.	9513/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
19.	9144/2022	1(a)	ग्रेनाईट खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
20.	7669/2020	1(a)	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
21.	9042/2022	1(a)	लाईमस्टोन खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
22.	8864/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
23.	9587/2023	1(a)	मिट्टी खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
24.	9665/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
25.	9666/2023	1(a)	पत्थर एवं मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
26.	9660/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
27.	9661/2023	1(a)	पत्थर एवं मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
28.	9622/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
29.	9636/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
30.	9637/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
31.	9638/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
32.	9205/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
33.	9043/2022	1(a)	डोलोमाईट एवं क्वार्टज खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण
34.	9514/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
35.	9520/2022	1(a)	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा					
36.	9522/2022	1 (a) & 2(a)	कोयला खदान एवं कोल वॉशरी	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
37.	9543/2022	1 (a)	कोयला खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 776वी बैठक दिनांक 27.03.2023 का कार्यवाही विवरण

1. **प्रकरण क्र. 8694/2021 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती पारस डागा पत्नि श्री विजय डागा, निवासी मकान नं. 26, मारवाड़ी रोड़, बैंक ऑफ इंडिया के सामने, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 239 भाग, ग्राम मालीखेड़ी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 625वी बैठक दिनांक 01.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

भोपाल जिले के मालीखेड़ी क्षेत्र में वृहद स्तर पर अवैध उत्खनन के संबंध में दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांक 25.11.2021 एवं 26.11.2021 में समाचार प्रकाशित हुए है। उक्त प्रकरण भी मालीखेड़ी क्षेत्र में स्वीकृत खदान की पर्यावरण स्वीकृति से संबंधित है। अतः कलेक्टर जिला भोपाल से 15 दिवस में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये कि इस क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जा सकती है अथवा नहीं है। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

2. **प्रकरण क्र. 9185/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मैहर ट्रेडर्स, बंगला न. 30 फेज–02, श्री गोल्डन सिटी, जाटखेड़ी, होशंगाबाद रोड, हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा लाईमस्टोन, डोलोमाइट एवं रिजेक्ट स्टोन खदान, उत्पादन क्षमता 3.0 लाख टन प्रतिवर्ष, रकबा 26.224 हेक्टेयर, खसरा नं. 196/1, 196/2, 197, 199, 200, 201, 202/1, 202/2, 203, 204 ,205, 206, 207, 208, 209, 210/1, 210/2, 210/3, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222/1, 222/2, 223, 224, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249/1, 249/2, 249/3, 250, ग्राम तमोरिया, तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 625वी बैठक दिनांक 01.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

1. **चूँकि आवंटित खनन क्षेत्र में खसरा नम्बर 207 कुल रकबा 0.47 हेक्टेयर भूमि आदिवासी श्री उमेश कौल की है, अतः भू–स्वामी को नियमानुसार उचित मुआवजा/लाभ दिए जाने के संबंध में राजस्व अधिकारी का भी अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाये।**
2. **आवंटित खनन क्षेत्र में निर्माणाधीन नहर के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत करें।**

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

3. उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार *"प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत आवंटित खनन् क्षेत्र में कुल 15 पेड लगे है जिसमें से 05 पेड़ काटे जायेगे तथा उनके एवज में 50 अतिरिक्त पेड लगाये जायेगे ।*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी प्रस्तुत करें।

उपरोक्त बिन्दु क्र. 1 से 3 तक की वांछित जानकारी अभिमत सहित 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

3. **प्रकरण क्र. 9560/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री प्रदीप विश्वकर्मा आत्मज श्री जमनाप्रसाद विश्वकर्मा, निवासी ग्राम झरखेड़ा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान, उत्पादन क्षमता 5010 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 697/3/1, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम झरखेड़ा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 625वी बैठक दिनांक 01.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार *"प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत आवंटित खनन् क्षेत्र में कुल 17 पेड लगे है जिसमें से 03 पेड़ काटे जायेगे तथा उनके एवज में 30 अतिरिक्त पेड लगाये जायेगे ।*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

4. **प्रकरण क्र. 9565/2022 परियोजना प्रस्तावक अखिलेश सिंह आत्मज श्री रंजीत सिंह शेखावत, निवासी अग्रवाल नगर कांडली, परतवाड़ा, जिला अमरावती (महाराष्ट्रा) द्वारा मुरूम खदान, उत्पादन क्षमता 20001 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 63/2, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम निंभौरा, तहसील भैंसादेही, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 776वी बैठक दिनांक 27.03.2023 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 625वी बैठक दिनांक 01.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 625वी बैठक दिनांक 01.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(i) **बैतूल जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार खनन गतिविधि शुरू करने से पहले भू–स्वामी को उचित मुआवजा प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 05 पेड़ो में से काटे जाने वाले 04 पेड़ो के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत रोपित 40 पौधों का सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1	बैरियर जोन में	नीम, बॉस, करंज, आम, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	1340
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	200
3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	900
		योग	2440

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम निंभोरा के शासकीय प्राथमिक स्कूल में फर्नीचर (10 बेन्च एवं डेस्क) तथा 02 अलमारी प्रदान की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक अखिलेश सिंह आत्मज श्री रंजीत सिंह शेखावत, निवासी अग्रवाल नगर कांडली, परतवाड़ा, जिला अमरावती (महाराष्ट्रा) द्वारा मुरूम खदान, उत्पादन क्षमता 20001 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 63/2, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम निंभौरा, तहसील भैंसादेही, जिला बैतूल (म.प्र.)। कार्यालय संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के आदेश क्र. 14381—82 दिनांक 19.10.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18.10.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

5. **प्रकरण क्र. 9568/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री रणवीर सिंह आत्मज श्री नरेन्द्र बैंस, निवासी बैरछादातार कालापीपल, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 6000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 598, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम डोराबाद, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 625वी बैठक दिनांक 01.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट—1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 625वी बैठक दिनांक 01.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट—1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:—

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क एवं जल भराव क्षेत्र से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1	बैरियर जोन में	चिरोल , नीम , जंगल जलेबी , सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1500
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ ,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	600
		योग	2400

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम डोराबाद के आंगनबाड़ी केन्द्र में महिला बाल विकास के परामर्श से 01 वर्ष तक पोषण आहार वितरित किया जाये तथा बच्चों के लिये खिलौने प्रदान किये जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक श्री रणवीर सिंह आत्मज श्री नरेन्द्र बैंस, निवासी बैरछादातार कालापीपल, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 6000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 598, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम डोराबाद, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) शाजापुर का पत्र क्र. 1117 दिनांक 15.09.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 14.09.2031 तक वैध मान्य रहेगी।

6. **प्रकरण क्र. 9558/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ए.एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनी, श्री सुनील जैन, निवासी फिरोजपुर, झिरका मेवात, हरियाणा द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 171/2/2, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम बाजना, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 625वी बैठक दिनांक 01.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार *"प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत आवंटित खनन् क्षेत्र में कुल 02 पेड लगे है जिसमें से 01 पेड़ काटा जायेगे तथा उनके एवज में 10 अतिरिक्त पेड लगाये जायेगे ।*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

7. **प्रकरण क्र. 9571/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बंसल पाथवेज (बैतूल–चिचौली) प्रा.लि., संचालक श्री सुनील बंसल, तृतीय तल, तवा कॉम्पलेक्स, विठ्ठन मार्केट, ई–5 अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 198800 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 212, रकबा 2.8950 हेक्टेयर, ग्राम अक्तिखेड़ा, तहसील चिचौली, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 625वीं बैठक दिनांक 01.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 776वी बैठक दिनांक 27.03.2023 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 625वीं बैठक दिनांक 01.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **बैतूल जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से 50 मीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा तथा उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के आस–पास स्थित स्वाईल कंजरवेशन कार्यो को कोई क्षति न हो यह सुनिश्चित किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा विशिष्ट शर्त के अनुसार वृक्षारोपण कार्य पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 14.09.2023 के पूर्व संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से कराया जाये तथा इस हेतु निर्धारित धनराशि परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।**

(vi) **जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति पत्र में निहित सी.ई.आर गतिविधियों हेतु विशिष्ट शर्त के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 14.09.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई. आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन करवाया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु शासन के नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, कचनार, अचार, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां (1.मीटर उचाई के पौधे)	1500
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	475
3	ग्रामवासियो में वितरण हेतु (ग्राम अकतीखेड़ा एवं ग्राम पंचायत . दूधिया)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, नींबू, अचार, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1000
4	ग्राम अकतीखेड़ा एवं ग्राम पंचायत दूधिया के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	नीम, खमेर, मोलश्री, सप्तपर्णी, आँवला, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500
		कुल	3475

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- तहसील चिचोली के शासकीय चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से जरूरत अनुसार राशि व्यय की जायेगा।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक मेसर्स बंसल पाथवेज (बैतूल–चिचौली) प्रा.लि., संचालक श्री सुनील बंसल, तृतीय तल, तवा कॉम्पलेक्स, विठ्ठन मार्केट, ई–5 अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 198800 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 212, रकबा 2.8950 हेक्टेयर, ग्राम अक्तिखेड़ा, तहसील चिचौली, जिला बैतूल (म.प्र.)। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का पत्र क्र. 1693 दिनांक 10.10.2022 के माध्यम से उक्त खदान को अस्थाई

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

अनुज्ञा (दिनांक 14.09.2023 तक) की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 14.09.2023 तक मान्य रहेगी।

8. **प्रकरण क्र. 9572/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बंसल पाथवेज (बैतूल–चिचौली) प्रा.लि., संचालक श्री सुनील बंसल, तृतीय तल, तवा कॉम्पलेक्स, विठ्ठन मार्केट, ई–5 अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 76668 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 20/1, रकबा 1.005 हेक्टेयर, ग्राम बोरगॉव, तहसील बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 625वीं बैठक दिनांक 01.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 625वीं बैठक दिनांक 01.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **बैतूल जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **जल रोकने की संरचना से 100 मीटर तथा कच्ची सड़क से 50 मीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा तथा उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के आस–पास स्थित स्वाईल कंजरवेशन कार्यो को कोई क्षति न हो यह सुनिश्चित किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा विशिष्ट शर्त के अनुसार वृक्षारोपण कार्य पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 14.09.2023 के पूर्व संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से कराया जाये तथा इस हेतु निर्धारित धनराशि परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(vi) **जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति पत्र में निहित सी.ई.आर गतिविधियों हेतु विशिष्ट शर्त के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 14.09.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई. आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन करवाया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु शासन के नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, कचनार, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां (1 मीटर उचाई के पौधे)	450
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	250
3	ग्रामवासियो में वितरण हेतु (ग्राम पंचायत बोरगांव)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, नींबू, अचार, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	510
		कुल	1210

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :—

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम बोरगांव के शासकीय प्राथमिक स्कूल में पीने के पानी हेतु हैण्डपम्प की स्थापना की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक मेसर्स बंसल पाथवेज (बैतूल–चिचौली) प्रा.लि., संचालक श्री सुनील बंसल, तृतीय तल, तवा कॉम्पलेक्स, विठ्ठन मार्केट, ई–5 अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 76668 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 20/1, रकबा 1.005 हेक्टेयर, ग्राम बोरगॉव, तहसील बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.)। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का पत्र क्र. 1694 दिनांक 10.10.2022 के माध्यम से उक्त खदान को अस्थाई अनुज्ञा (दिनांक 14.09.2023 तक) की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 14.09.2023 तक मान्य रहेगी।

9. **प्रकरण क्र. 9573/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बंसल पाथवेज (बैतूल–चिचौली) प्रा.लि., संचालक श्री सुनील बंसल, तृतीय तल, तवा कॉम्पलेक्स, विठ्ठन मार्केट, ई–5 अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 204744 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 63, रकबा 3.640 हेक्टेयर, ग्राम दुधिया, तहसील चिचौली, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 625वीं बैठक दिनांक 01.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 625वीं बैठक दिनांक 01.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(i) बैतूल जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा तथा उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के आस–पास स्थित स्वाईल कंजरवेशन कार्यो को कोई क्षति न हो यह सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा विशिष्ट शर्त के अनुसार वृक्षारोपण कार्य पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 14.09.2023 के पूर्व संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से कराया जाये तथा इस हेतु निर्धारित धनराशि परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(v) जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति पत्र में निहित सी.ई.आर गतिविधियों हेतु विशिष्ट शर्त के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 14.09.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई. आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन करवाया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु शासन के नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियें का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, कचनार, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1500
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	सप्तपर्णी, अचार, खमेर, चिरोल, करंज, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500
3	ग्रामवासियो में वितरण हेतु (ग्राम पंचायत दूधिया)	नीम, आम, कटहल, बेर, ऑंवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, नींबू, अचार, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1500
4	ग्राम पंचायत दूधिया के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में एवं ग्राम पंचायत के निकट धार्मिक स्थल की बाउंड्री के चारों ओर छायादार पौधारोपण	नीम, खमेर, मोलश्री, सप्तपर्णी, ऑंवला, महुआ, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	870
		कुल	4370

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।

- तहसील चिचोली के शासकीय चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से जरूरत अनुसार राशि व्यय की जायेगा।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक मेसर्स बंसल पाथवेज (बैतूल–चिचौली) प्रा.लि., संचालक श्री सुनील बंसल, तृतीय तल, तवा कॉम्पलेक्स, विठ्ठन मार्केट, ई–5 अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 204744 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 63, रकबा 3.640 हेक्टेयर, ग्राम दुधिया, तहसील चिचौली, जिला बैतूल (म.प्र.)। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का पत्र क्र. 1693 दिनांक 10.10.2022 के माध्यम से उक्त खदान को अस्थाई अनुज्ञा (दिनांक 14.09.2023 तक) की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 14.09.2023 तक मान्य रहेगी।

10. **प्रकरण क्र. 9574/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बंसल पाथवेज (बैतूल–चिचौली) प्रा.लि., संचालक श्री सुनील बंसल, तृतीय तल, तवा कॉम्पलेक्स, विठ्ठन मार्केट, ई–5 अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 193908 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 25, रकबा 2.553 हेक्टेयर, ग्राम सबढाना, तहसील चिचौली, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 625वीं बैठक दिनांक 01.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 625वीं बैठक दिनांक 01.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **बैतूल जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से 100 मीटर तथा कच्ची सड़क से 50 मीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा तथा उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के आस–पास स्थित स्वाईल कंजरवेशन कार्यो को कोई क्षति न हो यह सुनिश्चित किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा विशिष्ट शर्त के अनुसार वृक्षारोपण कार्य पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 14.09.2023 के पूर्व संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से कराया जाये तथा इस हेतु निर्धारित धनराशि परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।**

(vi) **जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति पत्र में निहित सी.ई.आर गतिविधियों हेतु विशिष्ट शर्त के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 14.09.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई. आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन करवाया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु शासन के नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियेां का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, कचनार, अचार, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां ।	950
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, जंगल जलेबी, मोलश्री, सप्तपर्णी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	350
3	ग्रामवासियो में वितरण हेतु (ग्राम सबाढाना एवं ग्राम पंचायत . चुडिया)	नीम, आम, कटहल, बेर, ऑवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, नीबू, अचार, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1500

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

4	ग्राम सबाढाना के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत चुडिया के माध्यमिक कन्या शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	नीम, खमेर, मोलश्री, सप्तपर्णी, आँवला, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	265
		कुल	3065

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :—

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- तहसील चिचोली के शासकीय चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से जरूरत अनुसार राशि व्यय की जायेगा।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक मेसर्स बंसल पाथवेज (बैतूल—चिचौली) प्रा.लि., संचालक श्री सुनील बंसल, तृतीय तल, तवा कॉम्पलेक्स, विठ्ठन मार्केट, ई—5 अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 193908 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 25, रकबा 2.553 हेक्टेयर, ग्राम सबढाना, तहसील चिचौली, जिला बैतूल (म.प्र.)। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का पत्र क्र. 1693 दिनांक 10.10.2022 के माध्यम से उक्त खदान को अस्थाई अनुज्ञा (दिनांक 14.09.2023 तक) की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 14.09.2023 तक मान्य रहेगी।

11. **प्रकरण क्र. 9582/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री हरीश चौहान आत्मज श्री पूनम चंन्द्र चौहान, निवासी चन्द्रशेखर आजाद मार्ग, रानापुर, जिला झाबुआ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 14550 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 340, 341, 342, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम डुंगरा, तहसील रानापुर, जिला झाबुआ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 776वी बैठक दिनांक 27.03.2023 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 625वीं बैठक दिनांक 01.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 625वीं बैठक दिनांक 01.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **झाबुआ जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉं	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	शीशम, नीम, पीपल, चिरोल, सीताफल, करंज, खमेर , एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	650
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅंचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, खमेर चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉं	150
3	डुंगरा ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद।	1610
4	शासकीय विद्यायल डुंगरा में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, गुलमोहर।	20
5	चारागाह के विकास हेतु	अंजन, सिंबोपोगोन,एवं अन्य स्थानीय बारहमासी चारा की प्रजातियॉं।	
		कुल	2430

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम डुंगरा के शासकीय प्राथमिक स्कूल में कंप्यूटर, प्रिंटर मय टेबल के साथ प्रदान किये जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक श्री हरीश चौहान आत्मज श्री पूनम चंन्द्र चौहान, निवासी चन्द्रशेखर आजाद मार्ग, रानापुर, जिला झाबुआ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 14550 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 340, 341, 342, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम डुंगरा, तहसील रानापुर, जिला झाबुआ (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला झाबुआ के पत्र क्र. 1151 दिनांक 21.11.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 20.11.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

12. **प्रकरण क्र. 9583/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री पंकज नागर, आत्मज श्री भागीरथ नागर, निवासी–ग्राम बोरदीकलां, तहसील इच्छावर, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5001 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 356/3/1, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम बोरदीकलां, तहसील इच्छावर, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 625वीं बैठक दिनांक 01.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 625वीं बैठक दिनांक 01.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से 50 मीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा तथा उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉं	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	150
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	150
3	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, बीजा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
4	ग्रामवासियो में वितरण हेतु)ग्राम पंचायत बोरदीकला)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
5	ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत बोरदीकला के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	100
6	ग्राम पंचायत बोरदीकला के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	100
		कुल	1000

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम बोरदीकलां के शासकीय प्राथमिक स्कूल में 02 बेंच प्रदान की जाये।
- ग्राम बोरदीकला के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक अधिकारी के परामर्श अनुसार सामग्री प्रदान की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक श्री पंकज नागर, आत्मज श्री भागीरथ नागर, निवासी–ग्राम बोरदीकलां, तहसील इच्छावर, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5001 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 356/3/1, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम बोरदीकलां, तहसील इच्छावर, जिला सीहोर (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला सीहोर के पत्र क्र. 1792 दिनांक 06.08.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 05.08.2031 तक वैध मान्य रहेगी।

13. **प्रकरण क्र. 9584/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री मुकेश कुमार भार्गव आत्मज श्री महेश प्रसाद भार्गव, निवासी ग्राम भडौता, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी (म.प्र.) द्वारा फर्शी पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता फर्शी पत्थर 6500 व बोल्डर 2786 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 384, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम बेदमउ, तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 625वीं बैठक दिनांक 01.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 625वीं बैठक दिनांक 01.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मंदिर एवं मानव बसाहट से न्यूनतम 100 मीटर तथा कच्ची सड़क से 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा तथा उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	खमेर, जंगल जलेबी, आवला, नीम, कस्टार, करंज, चिरोल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉं।	350
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	जंगल जलेबी, नीम, पुत्रंजीवा, सिस्सू, पीपल, चिरोल, करंज आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉं ट्री–गार्ड के साथ	250
3	प्राथमिक उपचार केंद्र के पास उपलब्ध क्षेत्र	आवला, कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, पपीता, आम, मुनगा आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉं ट्री–गार्ड के साथ	70
	ग्राम पंचायत बेदमऊ के पास उपलब्ध क्षेत्र	नीम, बरगद, पीपल, कचनार, सिस्सू, चिरोल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉं	50
4	ग्रामीणों मे पौधो का वितरण	मुनगा, आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, अनार, निम्बू, कटहल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉं	1680
		कुल	2400

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

- ग्राम बेदमऊ के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में 02 बेड एवं 02 व्हील चेयर्स चिकित्सक अधिकारी के परामर्श अनुसार प्रदान किये जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक श्री मुकेश कुमार भार्गव आत्मज श्री महेश प्रसाद भार्गव, निवासी ग्राम भडौता, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी (म.प्र.) द्वारा फर्शी पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता फर्शी पत्थर 6500 व बोल्डर 2786 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 384, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम बेदमउ, तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला शिवपुरी के आदेश क्र. 974 दिनांक 26.05.2022 के माध्यम से उक्त खदान को दिनांक 31.08.2028 तक की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 31.08.2028 तक वैध मान्य रहेगी।

14. **प्रकरण क्र. 6292/2019 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रामराजा ग्रेनाईट, निवासी मकान नं. 01, दिदवारा, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), गिट्टी एवं एम सेण्ड निर्माण हेतु पत्थर उत्पादन क्षमता 1,50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 1391, रकबा 4.0 हेक्टेयर, ग्राम दिदवारा, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति मे संशोधन हेतु आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 625वी बैठक दिनांक 01.03.2023 में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन करने की अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 625वी बैठक दिनांक 01.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में गिट्टी एवं एम सेण्ड निर्माण हेतु पत्थर उत्पादन क्षमता 1,50,000 **घनमीटर करते हुए निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ संशोधित पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) SEIAA **द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19.06.2022 में निहित शेष समस्त शर्ते यथावत रहेगी।**

(ii) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर द्वारा निष्पादित अनुबंध अनुसार** दिनांक 29.09.2018 से 28.09.2028 तक **के लिये अनुबंधित है, अतः यह संशोधित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 28.09.2028 तक वैध मान्य रहेगी।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन, अन्य संबंधित शासकीय विभाग एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं मुख्य रूप से पीएम 10 तथा पीएम 2.5 के नियंत्रण हेतु सभी समुचित कार्यवाही की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	खदान के बैरियर जोन में (7.5m. X 795m.)	नीम , सिस्सू, खमेर, सुबबूल एवं चिरौल, करंज।	1400
2	खदान के परिवहन मार्ग में वृक्षारोपण (पौंधो की न्यूनतम ऊंचाई 01 मीटर)	कला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय। ट्री-गार्ड के साथ।	300
3	दिदवारा स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल, करंज एवं अशोक।	200
4	दिदवारा के ग्राम वासियों में पौंधो का वितरण	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरुद एवं नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय।	1600
		कुल योग	3500

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन 02 वर्षो में सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम दिदवारा के आंगनवाड़ी केन्द्र में रंग रोगन एवं मरम्मत का कार्य किया जाये।
- ग्राम दिदवारा के तालाब का सौंदर्यीकरण एवं वृक्षारोपण का कार्य किया जाये ।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

15. **प्रकरण क्र. 6639/2019 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ओम ग्रेनाईट, निवासी मकान न. 1, दिदवारा, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर, बोल्डर एवं एम. सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), गिट्टी एवं एम सेण्ड निर्माण हेतु पत्थर उत्पादन क्षमता 1,50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 1881 रकबा 3.20 हेक्टेयर, ग्राम मुडहरा, तहसील गौरीहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति मे संशोधन हेतु आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 625वी बैठक दिनांक 01.03.2023 में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन करने की अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 625वी बैठक दिनांक 01.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में गिट्टी एवं एम सेण्ड निर्माण हेतु पत्थर उत्पादन क्षमता 1,50,000 **घनमीटर करते हुए निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ संशोधित पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :– –**

(i) SEIAA **द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19.10.2020 में निहित शेष समस्त शर्ते यथावत रहेगी।**

(ii) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर द्वारा निष्पादित अनुबंध अनुसार दिनांक** 10.01. 2018 से 09.01.2028 तक **के लिये अनुबंधित है, अतः यह संशोधित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09.01.2028 तक वैध मान्य रहेगी।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन, अन्य संबंधित शासकीय विभाग एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं मुख्य रूप से पीएम 10 तथा पीएम 2.5 के नियंत्रण हेतु सभी समुचित कार्यवाही की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में की गई प्रतिबंद्धता अनुसार आगामी माह में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु 450 पौधो का वृक्षारोपण करेगा इस शर्त के साथ पर्यावरणीय अभिस्वीकृति में संशोधन की अनुशंसा की जाती है।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	खदान के बैरियर जोन में (7.5m. X 795m.)	नीम , सिस्सू, खमेर, सुबबूल एवं चिरौल, करंज	1000
2	खदान के परिवहन मार्ग में वृक्षारोपण (पौंधो की न्यूनतम ऊंचाई 01 मीटर)	कला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय । ट्री-गार्ड के साथ ।	700

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

3	मुड़हरा स्कूल, पंचायत एवं आगनवाडी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल, करंज एवं अशोक।	300
4	मुड़हरा के ग्राम वासियों में पौंधो का वितरण	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरुद एवं नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय।	1800
		कुल योग	3800

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन 02 वर्षो में सुनिश्चित किया जायेगाः–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम मुडहरा के आंगनवाड़ी केन्द्र में रंग रोगन एवं मरम्मत का कार्य किया जाये।
- ग्राम मुडहरा के तालाब का सौंदर्यीकरण एवं वृक्षारोपण का कार्य किया जाये ।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

16. **प्रकरण क्र. 9423/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्रीजी इन्फ्रास्ट्रक्चर, इंडिया प्रा.लि., श्री हिमांशु खैरया, निवासी 1180, यूनिवर्सटी रोड, साउथ सिविल लाईन, पचपेड़ी, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 584, रकबा 2.710 हेक्टेयर, ग्राम बीजेगांव, तहसील नारायणगंज, जिला मंडला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 625वीं बैठक दिनांक 01.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 625वीं बैठक दिनांक 01.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा, खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉं	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम,पीपल,करंज,चिरोल, खमेर, सीताफल एवं अन्य प्रजातियाँ	2000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	कटंग बांस, करंज, जंगल जलेबी एवं अन्य प्रजातियाँ	170
3	गाँव में वितरण	आम, कटहल, सीताफल, निम्बू एवं अन्य प्रजातियाँ।	1430
		कुल	3600

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम बिजेगाँव के शासकीय प्राथमिक शाला में 02 टॉयलेट का निर्माण पानी की उचित व्यवस्था के साथ किया जाये एवं 01 कम्प्यूटर मय टेबल के साथ प्रदान किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक मेसर्स श्रीजी इन्फ्रास्ट्रक्चर, इंडिया प्रा.लि., श्री हिमांशु खैरया, निवासी 1180, यूनिवर्सटी रोड, साउथ सिविल लाईन, पचपेड़ी, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 584, रकबा 2.710 हेक्टेयर, ग्राम बीजेगांव, तहसील नारायणगंज, जिला मंडला (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला मंडला के पत्र क्र. 1493 दिनांक 12.10.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 05 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 11.10.2027 तक वैध मान्य रहेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

17. **प्रकरण क्र. 9490/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पीताम्बरा बिल्डकॉन, पार्टनर श्री नीरज शर्मा आत्मज श्री कैलाश नारायण शर्मा, निवासी डी–25, 524, सुरेश नगर, थाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा ग्रेनाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता ग्रेनाईट 4260 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ग्रेनाईट गिट्टी 25980 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC की अनुशंसा अनुसार), खसरा नं. 1997/मिन 2, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम खमेरा, तहसील दतिया, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 625वीं बैठक दिनांक 01.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 625वीं बैठक दिनांक 01.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क एवं मानव बसाहट से न्यूनतम 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग एवं ग्रामीण मार्ग के दोनों ओर 500 मीटर तक	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	700
4.	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	सीताफल, आवलाँ, अमरुद, ग्राफ्टिंग मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
		कुल	1200

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :—

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।

- ग्राम खमेरा के शासकीय प्राथमिक स्कूल में फिसलपट्टी और झूला, बच्चों के लिये 40 टेबल – चेयर, शिक्षको के लिये 2 टेबल – चेयर एवं प्रधानाचार्य के लिये 01 टेबल–चेयर प्रदान किये जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक मेसर्स पीताम्बरा बिल्डकॉन, पार्टनर श्री नीरज शर्मा आत्मज श्री कैलाश नारायण शर्मा, निवासी डी–25, 524, सुरेश नगर, थाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा ग्रेनाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता ग्रेनाईट 4260 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ग्रेनाईट गिट्टी 25980 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC की अनुशंसा अनुसार), खसरा नं. 1997/मिन 2, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम खमेरा, तहसील दतिया, जिला दतिया (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला दतिया के आदेश क्र. 283–6 दिनांक 19.04.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 27.05.2015 से 10 तक वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 26.05.2025 तक वैध मान्य रहेगी।

18. **प्रकरण क्र. 9513/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री प्रभाकर निकाजु आत्मज श्री गंजानंद निकाजु, निवासी ग्राम बाडेगांव, तहसील पाढुंरणा, जिला छिंदवाडा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 18713 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 457, रकबा 2.922 हेक्टेयर, ग्राम बाडेगांव, तहसील पाढुंरणा, जिला छिंदवाडा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 625वीं बैठक दिनांक 01.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 625वीं बैठक दिनांक 01.03.2023 की अनुशंसा को

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **छिंदवाडा जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, कचनार, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, अचार. करंज, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1000
3	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, अचार, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	210
4.	ग्रामवासियो में वितरण हेतु (ग्राम पंचायत बाड़ेगांव)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, नींबू, अचार, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1100
5	ग्राम पंचायत बाड़ेगांव के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	इमली, आम, आँवला, सीताफल, कबीट एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
		कुल	3510

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम बाड़ेगांव के शासकीय प्राथमिक शाला में 25 बेंच व 10 कुर्सियां प्रदान की जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

- पांढुर्ना के शासकीय स्वास्थ केंद्र में चिकित्सक अधिकारी से परामर्श अनुसार 01 ईसीजी मशीन, 02 मेडिकल बेड प्रदान किये जाये ।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक श्री प्रभाकर निकाजु आत्मज श्री गंजानंद निकाजु, निवासी ग्राम बाडेगांव, तहसील पाढुंरणा, जिला छिंदवाडा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 18713 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 457, रकबा 2.922 हेक्टेयर, ग्राम बाडेगांव, तहसील पाढुंरणा, जिला छिंदवाडा (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला छिंदवाडा के पत्र क्र. 5788 दिनांक 06.12.2021 एवं पत्र क्र. 510 दिनांक 21.06.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 तक वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता 05.12.2031 तक मान्य रहेगी।

19. **प्रकरण क्र. 9144/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स किसान एक्सपोर्ट, प्रो. श्री विनोद खेड़िया, निवासी खेड़िया भवन, ग्राम पोस्ट बिजुरी, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) द्वारा ग्रेनाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता ग्रेनाईट ब्लाक 10,011 एवं सेलेबल स्टोन वेस्ट 56,727 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 10.926 हेक्टेयर, खसरा 1578, 1579, 1583/1/2, 2074, ग्रम चोलना, तहसील जैतहरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानव बसाहट से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से दोनो ओर 50–50 मीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 45 पेड़ो में से काटे जाने वाले 12 पेड़ो के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 120 पौधों का सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	अचार, चिरोल, खमेर, आवला, नीम, जंगल जलेबी, सिस्सू ,पीपल, महुआ बरगद, करंज आदि। एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	4000
	उत्खनिपट्टा में प्रस्तावित गैर खनन क्षेत्र में	नीम, महुआ आदि। एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	चिरोल, पीपल, पुत्रंजीवा, करंज, सप्तपर्णी, जंगल जलेबी, नीम, सिस्सू, कदम आदि। एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200
3	खेल का मैदान में वृक्षारोपण	आवला, कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, पपीता, आम, मुनगा, कटहल, करंज आदि। एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	500
4	ग्राम में स्थित 5 तालाबों में वृक्षारोपण	बरगद, पीपल, करंज, जामुन, कहवा आदि। आदि। एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1000
5	शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में	चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, करंज, नीम, पीपल, सप्तपर्णी, कदम आदि। एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	100
6	पोंडी के सरकारी स्कूल में	चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, करंज, नीम, पीपल, सप्तपर्णी, कदम आदि। एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	100
7	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	आमला, आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, अनार, कटहल मुनगा आदि। एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	6400
		कुल वृक्षारोपण	**13,300**

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :—

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम चोलना के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ प्रिंसिपल या हेडमास्टर के परामर्श से प्रयोगशाला हेतु उपकरण प्रदान किये जाये।
- ग्राम चोलना के नजदीक स्थित तालाबों का गहरीकरण, सौदर्यीकरण एवं वृक्षारोपण का कार्य किया जाये।
- ग्राम चोलना में स्थित मंदिर में रंग रोगन एवं मरम्मत का कार्य करवाया जावेगा साथ ही में मंदिर जरूरत के हिसाब से अन्य सामग्री प्रदान की जाये।
- ग्राम चोलना में खेल मैदान का समतलीकरण कर खेल सामग्री प्रदान किया जाये।
- ग्राम चोलना में ग्रामवासियों के लिए हर छह माह में स्वास्थ शिविर का आयोजन किया जाये ।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक मेसर्स किसान एक्सपोर्ट, प्रो. श्री विनोद खेड़िया, निवासी खेड़िया भवन, ग्राम पोस्ट बिजुरी, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) द्वारा ग्रेनाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता ग्रेनाईट ब्लाक 10,011 एवं सेलेबल स्टोन वेस्ट 56,727 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 10.926 हेक्टेयर, खसरा 1578, 1579, 1583/1/2, 2074, ग्रम चोलना, तहसील जैतहरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला अनूपपुर के पत्र क्र. 665 दिनांक 13.04.2022 के माध्यम से उक्त खदान 30 वर्ष (25.09.2018 से 24.09.2048) की अवधि हेतु स्वीकृत होकर अनुबंधित है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता 24.09.2048 तक मान्य रहेगी।

20. प्रकरण क्र. 7669/2020 परियोजना प्रस्तावक मोहम्मद आसिफ खान आत्मज श्री अब्दुल खान, ग्राम बरखेड़ी टुण्डा, पोस्ट बरखेड़ी चौराहा, तहसील व जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 11930 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 7.17 हेक्टेयर, खसरा नम्बर

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

198, ग्राम खोह, तहसील – रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार प्रस्तावित खदान के दक्षिण पूर्व दिशा में खनन क्षेत्र के अंदर 04–05 मकान तथा खदान के समीपस्थ घनी आबादी एवं उत्तर पश्चिम दिशा में 60 मीटर पर शमशान घाट परिलक्षित है। अतः कलेक्टर, जिला रायसेन से स्पष्ट अभिमत 15 दिवस में प्राप्त किया जाये कि उक्त क्षेत्र में मानब बसाहट एवं शमशान घाट को देखते हुए पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किया जाना उचित होगा अथवा नहीं। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

21. **प्रकरण क्र. 9042/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री के.के. गौतम, पुरानी बस्ती जलपा देवी वार्ड, गौतम लेन, जिला कटनी (म.प्र.) लाईम स्टोन माईन (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता लाईम स्टोन एवं वेस्ट – 1,97,440 टन प्रतिवर्ष खसरा नं. 15/1 पार्ट, रकबा 6.104 हेक्टेयर, ग्राम भटूरा, तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं SEAC की अनुशंसा अनुसार उक्त खदान में 1981 से वर्ष 2011 तक खनन कार्य किया गया है एवं उसके बाद खदान बंद है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा लगभग 12 वर्ष के उपरांत पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। अतः कलेक्टर, जिला सतना द्वारा स्थल निरीक्षण करवाकर स्पष्ट अभिमत 15 दिवस में प्राप्त किया जाये कि उक्त क्षेत्र में वर्ष 2011 के उपरांत खनन कार्य किया गया है अथवा नहीं। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

22. प्रकरण क्र. 8864/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बजरंग ग्रेनाइट स्टोन वर्क्स, अधिकृत व्यक्ति, श्री भूपेन्द्र प्रजापति, निवासी – ग्राम घटाहरी, तहसील – गौरिहार, जिला – छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 55100 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.80

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

हेक्टेयर, खसरा 463/2/2, ग्राम – घटाहरी, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(i) **छतरपुर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **आबादी एवं तालाब के HFL से न्यूनतम 100 मीटर तथा कच्ची सड़क से 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, सप्तपर्णी, अचार. करंज, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	1060

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

3	ग्रामवासियो में वितरण हेतु (ग्राम पंचायत घटहरी)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, नींबू, अचार, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	660
4	ग्राम पंचायत घटहरी के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	आँवला, कदम, सप्तपर्णी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
		कुल	3420

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- तहसील गौरीहर के शासकीय चिकित्सालय में चिकित्सक अधिकारी के परामर्श अनुसार 02 मेडिकल बेड, 02 व्हीलचेयर, 10 कुर्सी तथा जनरल जांच हेतु बीपी नापने की 02 मशीन, वजन नापने की 01 मशीन एवं शुगर नापने की 02 मशीन प्रदान की जाये।
- ग्राम पंचायत घटहरी के प्राथमिक विद्यालय में 30 बेंच, 10 कुर्सी व 02 टेबल प्रदान की जाये एवं स्कूल बिल्डिंग की मरम्मत एवं रंग रोगन का कार्य किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बजरंग ग्रेनाइट स्टोन वर्क्स, अधिकृत व्यक्ति, श्री भूपेन्द्र प्रजापति, निवासी – ग्राम घटाहरी, तहसील – गौरिहार, जिला – छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 55100 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.80 हेक्टेयर, खसरा 463/2/2, ग्राम – घटाहरी, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.)। कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) जिला छतरपुर का पत्र क्र. 1757 दिनांक 11.09.2020 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 10.09.2030 तक वैध मान्य रहेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

23. **प्रकरण क्र. 9587/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा आत्मज श्री रामेश्वर दयाल शर्मा, निवासी ग्राम सेहदपुर, तहसील कैलारस, जिला मुरैना (म.प्र.) द्वारा मिट्टी खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 3600 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 543, रकबा 1.170 हेक्टेयर, ग्राम सेहदपुर, तहसील कैलारस, जिला मुरैना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(i) **मुरैना जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) **खनन् कार्य अधिकतम 02 मीटर की गहराई तक किया जायेगा एवं आवंटित खनन क्षेत्र में क्लिन की स्थापना नहीं की जाएगी।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	आम, अमरूद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियां	**850**
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
		कुल	1450

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम सेहदपुर के आंगनवाड़ी केन्द्र में एक झूला, 01 फिसल पट्टी प्रदान की जाये तथा स्कूल बांउड्री के चारो तरफ पेड–पौधे लगाए जाऐगें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा आत्मज श्री रामेश्वर दयाल शर्मा, निवासी ग्राम सेहदपुर, तहसील कैलारस, जिला मुरैना (म.प्र.) द्वारा मिट्टी खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 3600 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 543, रकबा 1.170 हेक्टेयर, ग्राम सेहदपुर, तहसील कैलारस, जिला मुरैना (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला मुरैना के पत्र क्र. 909 दिनांक 18.08.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 17.08.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

24. प्रकरण क्र. 9665/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री यश त्रिवेदी आत्मज श्री कमल किशोर त्रिवेदी, निवासी शुगर मिल मार्ग, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 1/1, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम डेलचीबुजुर्ग, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क एवं शेड से न्यूनतम 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, खमेर, सिस्सू आदि।	250
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि	500
3	**पट्टा क्षेत्र के बाहर पूर्व दिशा में पक्की रोड के ओर 4 फ़ीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में**	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि	200
4	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	1650
		कुल	2600

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम डेलचीबुर्जुग के आंगनबाड़ी केन्द्र में रसोईघर का निर्माण कराया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री यश त्रिवेदी आत्मज श्री कमल किशोर त्रिवेदी, निवासी शुगर मिल मार्ग, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 1/1, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम डेलचीबुजुर्ग, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.)। कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) जिला उज्जैन का आदेश क्र. 2505 दिनांक 31.12.2016 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.12.2026 तक वैध मान्य रहेगी।

25. प्रकरण क्र. 9666/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री संतोष ठाकुर आत्मज श्री रामेश्वर ठाकुर, निवासी ग्राम तारापुर, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर/गिट्टी व मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 856/2, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम तारापुर, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(i) **धार जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मौसमी नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, खमेर, सिस्सू आदि।	450
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि	200
3	पट्टा क्षेत्र का वो भाग (0.5728 हैक्टअर) जहा खनन कार्य नहीं किया जायेगा	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, खमेर, सिस्सू आदि।	1750
		कुल	2400

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम तारापुर के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के कुए के ऊपर लोहे की जाली लगवाई जाये तथा विद्यालय प्रांगण का समतलीकरण किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री संतोष ठाकुर आत्मज श्री रामेश्वर ठाकुर, निवासी ग्राम तारापुर, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर/गिट्टी व मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि),

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 856/2, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम तारापुर, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.)। कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) जिला धार का आदेश क्र. 1211 दिनांक 09.09.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 08.09.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

26. **प्रकरण क्र. 9660/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती कंचन दुबे पत्नि श्री आशीष पाठक, निवासी तिलक वार्ड न. 06, सटई, तहसील विजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 70000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 27/2, 199/1/1, रकबा 2.451 हेक्टेयर, ग्राम पड़रिया, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(i) **छतरपुर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **जल रोकने की संरचना से 100 मीटर तथा कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	सिस्सू, आवंला, चिरोल, नीम, पुत्रंजीवा, सफेद कस्टार जंगल जलेबी, करंज, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	1500

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	200
3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	1000
		कुल	3000

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम पड़रिया के शासकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र में 01 व्हील चेयर, 01 वाटर प्यूरीफायर एवं 04 बेड (गद्दे, तकिया एवं चादर सहित) प्रदान किये जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती कंचन दुबे पत्नि श्री आशीष पाठक, निवासी तिलक वार्ड न. 06, सटई, तहसील विजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 70000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 27/2, 199/1/1, रकबा 2.451 हेक्टेयर, ग्राम पड़रिया, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.)। कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) जिला छतरपुर का आदेश क्र. 1241 दिनांक 12.05.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 11.05.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

27. प्रकरण क्र. 9661/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अर्पित जैन, निवासी गंगधार रोड, ओसवाल दाल मिल, चौमहला, जिला झालावाड़, राजस्थान–326515 द्वारा मुरूम एवं पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25596 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 200, रकबा 1.900 हेक्टेयर, ग्राम हरीपुरा, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(i) **मंदसौर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	सिरसू नीम, बरगद, खमैर, चिरौल, सीताफल, करंज एवं कस्टार, जंगल जलेबी अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1200
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं जंगल जलेबी अन्य स्थानीय प्रजातियाँ, ।	200
3	हरिपुरा ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद।	880
4	शासकीय विद्यालय हरिपुरा में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, करंज गुलमोहर।	20
		कुल	2300

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम पंचायत हरीपुरा के शासकीय स्कूल में 01 कम्प्यूटर, 01 प्रिन्टर, 10 कुर्सी एवं 10 टेबल प्रदान की जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री अर्पित जैन, निवासी गंगधार रोड, ओसवाल दाल मिल, चौमहला, जिला झालावाड़, राजस्थान–326515 द्वारा मुरूम एवं पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25596 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 200, रकबा 1.900 हेक्टेयर, ग्राम हरीपुरा, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर (म.प्र.)। कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) जिला मंदसौर का पत्र क्र. 4200 दिनांक 22.12.2020 एवं पत्र क्र. 2710 दिनांक 06.12.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 21. 12.2030 तक वैध मान्य रहेगी।

28. **प्रकरण क्र. 9622/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बदवार मऊगंज रोड प्रोजेक्ट प्रा.लि., निदेशक, संजय बघेल, निवासी 1180, यूनिवर्सिटी रोड, साउथ सिविल लाईन, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर बोल्डर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 200493 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 444पी, रकबा 2.50 हेक्टेयर, ग्राम अमिलिहा, तहसील गुढ़, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(i) रीवा जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क एवं शेड से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉं	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	सिस्सू नीम, बरगद, खमैर, चिरौल, सीताफल, करंज एवं कस्टार, जंगल जलेबी अन्य स्थानीय प्रजातियॉं।	400
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, चिरौल, करंज, एवं जंगल जलेबी अन्य स्थानीय प्रजातियॉं, ।	200
3	अमिलिहा ग्राम के निकट गौ–शाला में	अंजन, शिरीष, मुनगा, सहजन, व पशुओ के खाने योग्य अन्य स्थानीय प्रजातियॉं। चेनलिंक फेन्सिंग के चारों ओर छायादार पोधों जैसे बरगद, पीपल, इत्यादि का रोपण किया जावेगा	800
		कुल	1400

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम अमिलिहा के निकट गौशाला में एक हैंडपम्प के चारो तरफ चबूतरा बनाया जाये तथा हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना की जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

- ग्राम अमिलिहा की गौ–शाला 02 सोलर पेनल (बेटरी के साथ) एवं 02 पंखे स्थापित किये जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बदवार मऊगंज रोड प्रोजेक्ट प्रा.लि., निदेशक, संजय बघेल, निवासी 1180, यूनिवर्सिटी रोड, साउथ सिविल लाईन, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर बोल्डर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 200493 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 444पी, रकबा 2.50 हेक्टेयर, ग्राम अमिलिहा, तहसील गुढ़, जिला रीवा (म.प्र.)। कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) जिला रीवा का पत्र क्र. 2219 दिनांक 13.06.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 03 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.06.2025 तक वैध मान्य रहेगी।

29. प्रकरण क्र. 9636/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्रीजी इन्टरप्राईजेज़, C/o श्री रमाकांत शर्मा, निवासी रेल्वे क्रांसिग के पास, वार्ड न. 8, जिला श्योपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25578 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 1786, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम कस्बा, तहसील श्योपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(i) **श्योपुर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **जल रोकने की संरचना से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	चिरोल , नीम , जंगल जलेबी , सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1000
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
3	**ग्रामवासियों में वितरण हेतु**	सीताफल, आवलाँ अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	600
		कुल	2400

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम कस्बा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में 01 कमरे का निर्माण कराया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्रीजी इन्टरप्राईजेज़, C/o श्री रमाकांत शर्मा, निवासी रेल्वे क्रांसिग के पास, वार्ड न. 8, जिला श्योपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25578 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 1786, रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम कस्बा, तहसील श्योपुर,

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

जिला श्योपुर (म.प्र.)। कार्यालय संचालानालय भौमिकी तथा खनिकर्म का पत्र क्र. 14137 दिनांक 13.10.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.10.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

30. प्रकरण क्र. 9637/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री रईश मोहम्मद आत्मज स्व. श्री रज्जाक मोहम्मद, निवासी ग्राम बरूखेड़ी, पोस्ट मह्, जिला राजगढ़ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 3420 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 348/422/1/1, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम दिगंलपुर, तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(i) **राजगढ़ जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	आवंला, नीबू, नीम, महुआ, जामुन, कटहल, मुनगा, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	700
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	100
3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	400
		कुल	1200

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम डिंगलपुर के शासकीय प्राईमरी स्कूल में 10 बेंच व डेस्क एवं 02 प्लास्टिक टैंक वितरित किये जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री रईश मोहम्मद आत्मज स्व. श्री रज्जाक मोहम्मद, निवासी ग्राम बरूखेड़ी, पोस्ट महु, जिला राजगढ़ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 3420 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 348/422/1/1, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम दिगंलपुर, तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) राजगढ़ का पत्र क्र. 1011 दिनांक 28.11.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 27.11.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

31. प्रकरण क्र. 9638/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती वर्षा शिवहरे पत्नि श्री लवनिश शिवहरे, निवासी बायपास रोड़, रेल्वे गेट के पास, वार्ड न. 9, मधुवन कॉलोनी, जिला श्योपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर (बोल्डर) खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 21600 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 1786, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम कस्बा श्योपुर, तहसील श्योपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **श्योपुर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन**

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **नदी के HFL से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	चिरोल , नीम , जंगल जलेबी , सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	600
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ, अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
		कुल	1200

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

- ग्राम कस्बा श्योपुर के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में 01 कमरे का निर्माण कराया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती वर्षा शिवहरे पत्नि श्री लवनिश शिवहरे, निवासी बायपास रोड़, रेल्वे गेट के पास, वार्ड न. 9, मधुवन कॉलोनी, जिला श्योपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर (बोल्डर) खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 21600 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 1786, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम कस्बा श्योपुर, तहसील श्योपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) श्योपुर का पत्र क्र. 9462 दिनांक 02.09.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 01.09.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

32. प्रकरण क्र. 9205/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री मधुसूदन पाटीदार आत्मज श्री हरिवल्लभ पाटीदार, निवासी रिछालालमुआ, तहसील दलौदा, जिला मंदसौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 42180 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 113, रकबा 4.0 हेक्टेयर, ग्राम अरनिया गुर्जर, तहसील मंदसौर, जिला मंदसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(i) **मंदसौर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)

(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

1	बैरियर जोन मे	नीम,सिस्सू, करंज,चिरोल, सीताफल,सफ़ेद कैस्टर एवं अन्य प्रजातियाँ।	2000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम,करंज,चिरोल,जंगल जलेबी।	400
3	विद्यालय में	मौलश्री, पुत्रन्जीवा, कचनार, कदम, नीम	100
4.	गाँव में वितरण	आँवला, आम, मुनगा, जामुन	2100
		कुल	4600

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- स्थानीय अनाथ निशक्तजन संस्थान मंदसौर में सहयोग राशि प्रदान की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री मधुसूदन पाटीदार आत्मज श्री हरिवल्लभ पाटीदार, निवासी रिछालालमुआ, तहसील दलौदा, जिला मंदसौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 42180 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 113, रकबा 4.0 हेक्टेयर, ग्राम अरनिया गुर्जर, तहसील मंदसौर, जिला मंदसौर (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) मंदसौर का पत्र क्र. 2489 दिनांक 03.12.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 02.12.2031 तक वैध मान्य रहेगी।

33. प्रकरण क्र. 9043/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बालाजी मार्बल एंड टाईल्स प्रा.लि. निवासी 11–12, डन मार्केट, जबलपुर रोड़, वरगांवा, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट एंड क्वार्टज खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 3,01,999,40 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 135, 136, रकबा 4.0 हेक्टेयर, ग्राम वडागांव, तहसील बड़वरा, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि जिला कटनी की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन होने के उपरांत प्रकरण पर पर्यावरण स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

34. प्रकरण क्र. 9514/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री शिवराज दांगी आत्मज श्री रोडीलाल दांगी, निवासी ग्राम सोनकच्छ, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5096 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 40/14, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम सोनकच्छ, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(i) **राजगढ़ जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	सिरस्सू, चिरोल, नीम, महुआ, जंगल जलेबी, करंज, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	800
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	200
3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	200
		कुल	1200

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम सोनकच्छ के शासकीय हाई स्कूल में 01 कम्प्यूटर, प्रिन्टर मय टेबल के साथ प्रदान किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री शिवराज दांगी आत्मज श्री रोडीलाल दांगी, निवासी ग्राम सोनकच्छ, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5096 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 40/14, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम सोनकच्छ, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) राजगढ़ का आदेश क्र. 1484

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

दिनांक 30.11.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 29.11.2031 तक वैध मान्य रहेगी।

35. प्रकरण क्र. 9520/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बादशाह उद्योग, प्रोपराईटर, श्री अयाजउद्दीन शेख, निवासी मकान न. 7, सिविल लाईन, कलेक्टर बंगले के पीछे, जिला देवास (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 379, रकबा 2.50 हेक्टेयर, ग्राम आनंदपुर डुगरिया, तहसील देवास, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 626वीं बैठक दिनांक 02.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद 04 जीवित वृक्षों को नहीं काटा जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	बैरियर जोन मे	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– खमेर, जंगल जलेबी, आवला, नीम, कस्टार, करंज, चिरोल आदि।	400
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः–सिस्सू, पीपल, करंज, चिरोल, पुत्रंजीवा, नीम आदि।	300
3	ग्राम आनंदपुर डुंगरिया के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पुत्रंजीवा, मोलश्री, संतरा, पपीता, आम, मुनगा, कटहल, करंज, आवला आदि।	50
4.	ग्राम राबडिया के पंचायत भवन परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, करंज, नीम, पीपल, सप्तपर्णी, कदम आदि।	80

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

5.	ग्राम आनंदपुर डुंगरिया के शासकिय विद्यालय परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, करंज, नीम, पीपल, सप्तपर्णी, कदम आदि।	100
6.	**ग्रामीणों में पौधो का वितरण**	**स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , निम्बू, जामुन, मुनगा आदि।**	2070
		कुल	3000

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम आनंद डुंगरिया के नजदीक शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र में 02 फोल्डेबल व्हील चेयर एवं 01 बेड उपलब्ध कराया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बादशाह उद्योग, प्रोपराईटर, श्री अयाजउद्दीन शेख, निवासी मकान न. 7, सिविल लाईन, कलेक्टर बंगले के पीछे, जिला देवास (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 379, रकबा 2.50 हेक्टेयर, ग्राम आनंदपुर डुगरिया, तहसील देवास, जिला देवास (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) देवास का आदेश क्र. 1611 दिनांक 13.05.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.05.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा

36. **प्रकरण क्र 9522/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जे. एम. एस माईनिग प्रा. लि. डोंगफैंग इलेक्ट्रिक विल्डिंग, थर्ड फलोर प्रेमाईसेस न. –16 एम.ए.आर 1111 एक्सन ऐरिया 1–ए न्यू टाउन राजरहाट कोलकता (प.ब.) द्वारा उर्तन नोर्थ अंडरग्राउण्ड कोयला खदान मय इंटीग्रेटेड कोल वॉशरी (अन्डरग्राउन्ड मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता टारगेट क्षमता 0.6000 एम.टी.पी.ए., पी.आर.सी. – 0. 90 एम.टी.पी.ए, कोल वॉशरी 2.0 एम.टी.पी.ए., रकबा 475 हेक्टेयर, खसरा –लीज स्वीकृत आदेश अनुसार, ग्राम ठोडहा, बसखली, बसखला एवं मौहरी तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 616वी बैठक दिनांक 02.01.2023 में उक्त प्रकरण में मानक शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 773वी बैठक दिनांक 02.03.203 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रकरण को राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 767 बैठक** दिनांक 12.01.2023 **में विचारार्थ रखा गया। प्रकरण में चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक समस्त वैधानिक अनापत्तियों की जानकारी के साथ अनुमोदित खनन योजना के अनुरूप प्रस्तावित खनन प्रक्रिया में पर्यावरण सरंक्षण हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना के प्रस्तुतीकरण हेतु आगामी SEIAA बैठक अधिकृत पर्यावरण सलाहकार उपस्थित होंवे। तदानुसार संबधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक श्री कौशिक, जनरल मैनेजर जे.एम.एस. कोल माईनिंग अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार श्री सांतनु पुरानिक (मेसर्स सृष्टि सेवा प्रा.लि., नागपुर) साथ प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में प्रस्तुतीकरण किया गया ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 767वीं बैठक दिनांक 12.01.2023 के निर्णयानुसार परियोजना प्रस्तावक प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के उपरांत प्रस्तुत की गई जानकारी पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

I. *Coal bed methane available in the seams of coal mines should be collected and properly used ,as this is a valuable resource and also has global warming potential.In no case this should be ventilated freely to the environment.*

II. *All the transfer points both in mines and washery should be covered and equipped with adequate pollution control measures.*

III. *Zero discharge concepts to be followed.*

IV. *For the control of fugitive emission, wherever required water spraying should be done with permanent well laid pipeline system. Mobile water tankers is permitted but only to an extent where the permanent system is not workable.*

V. *Coal mine dewatering discharge is acidic in nature and contains various heavy metals and therefore needs careful handling. Firm commitment is required for its proper treatment, handling and reuse to attain zero discharge.*

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

VI. *Carbon footprint of mines and washery should be carefully calculated and adequately compensated with greening the area and other site specific and suitable measures.*

VII. *All the solid waste generated will be collected in pucca covered sheds and will be reused.*

VIII. *Commitment regarding strengthening of present transport and other available infrastructure and use of electrical and other green transport options to be explored and implemented.*

*उपरोक्त बिन्दु क्र. i से viii के संबंध में लिखित प्रतिबद्धता (**Written Commitment**) के साथ विस्तृत जानकारी 15 दिवस में प्रस्तुत की जाये। तदानुसार प्रकरण पर विचार किया जायेगा।*

परियोजना प्रस्तावक द्वार ई–मेल दिनांक 24.03.2023 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी के संबंध में लिखित प्रतिबद्धता प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रतिबद्धता एवं SEAC की 616वी बैठक दिनांक 02.01.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24.03.2023 को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत प्रतिबद्धता का पूर्णतः परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

2. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य लीज अनुबंध निष्पादन के उपरांत ही किया जायेगा।**

3. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा 6.92 हेक्टेयर वन भूमि में खनन उद्देश्य के लिये डायवर्सन हेतु आवेदन (Vide FP/MP/MIN/144859/2021) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली में प्रस्तुत किया गया है, जो कि विचाराधीन है। अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली से फॉरेस्ट क्लीयरेंस (Stage I & II) प्राप्त होने तक फारेस्ट एरिया में किसी भी प्रकार की गतिविधि किये जाने की अनुमति नहीं होगी।**

4. कोल क्रशिंग यूनिट और वाशरी यूनिट के हॉपर में उच्च दक्षता वाले (high efficiency) वाले बैग फिल्टर लगाया जाना सुनिश्चित करे, परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोल माईनिंग एवं कोल वॉशरी के प्रदूषणकारी स्थानों पर जल, वायु, ध्वनि एवं भूमि प्रदूषण नियंत्रण हेतु समुचित व्यवस्था की जाये।

5. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा वायु, जल एवं ध्वनि की गुणवत्ता का निरंतर आकलन किये जाने हेतु उपयुक्त स्थलों पर कन्टीन्यूस मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट की स्थापना की जाये।**

6. कोयला खनन प्रक्रिया से उत्पन्न कोलबेड मिथेन का अधिकतम पुनः उपयोग सुनिश्चित किया जाये। किसी भी परिस्थिति में इस वातावरण में सीधे न छोड़ा जाये।

7. कोयला खदान एवं घरेलू व अन्य कारणों से उत्पन्न दूषित जल का निर्धारित मानकों के अनुरूप उपचार कर अधिकतम पुनः उपयोग सुनिश्चित किया जाये, जिसमें जल की गुणवत्ता अनुसार हैवी मेटल्स के उपचार की भी समुचित व्यवस्था हो।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी वादों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

9. परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 19.07.22 में भूजल निकासी के लिए सीजीडब्ल्यूए द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ही जल दोहन किया जावे।

10. कच्चे कोयले की मात्रा और राख की मात्रा, और Washing के प्रत्येक बैच से उत्पादित स्वच्छ कोयले और कोयले के रिजेक्ट का रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से रखा जावे।

11. कच्चे कोयले और Washed कोयले में भारी धातु की मात्रा (Heavy Metal) का विश्लेषण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से किया जाये।

12. कच्चा कोयला, धुला हुआ कोयला और कोयले का Wastes (Rejects) पक्का स्टॉकयार्ड के अंदर चिन्हित स्थल (Earmarked साइट) जो की विंड ब्रेकर/शील्ड सुविधायुक्त हो में भंडारण किया जावे। परियोजना प्रस्तावक सुनिश्चित करें भंडारित खनिज के स्थान पर आग से सुरक्षा के पर्याप्त उपाय हों।

13. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं Global Warming Potential वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्यवाही अनिवार्य रूप से किया जाये।

14. पानी को Close Circuit System में उपयोग उपरांत Re-circulate कर पर्याप्तः मात्रा में Chemical मिलाकर पुनः उपयोग में लाये। किसी भी परिस्थिती में कोयला धुलाई हेतु उपयोग किये जा रहे जल की मात्रा 1500 लीटर प्रतिटन से अधिक नहीं होना चाहिए।

15. प्रदूषण के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करे कोयला भंडारण क्षेत्र, Crushing Units और Rejects Storage एरिया गांवों एवं कृषि भूमि के पास इतनी दूरी पर स्थापित हो, जिससे आस पास के क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या ना हो।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Green Mining Concept को जहां तक हो सके कोल माईनिंग के Process में लागू किया जाये।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना से प्रभावित होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में SEAC ,द्वारा अनुशंसित कार्यों के साथ–साथ अतिरिक्त सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का भी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

    - ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जे. एम. एस माईनिग प्रा. लि. डोंगफैंग इलेक्ट्रिक विल्डिंग, थर्ड फलोर प्रेमाईसेस न. –16 एम.ए.आर 1111 एक्सन ऐरिया 1–ए न्यू टाउन राजरहाट कोलकता (प.ब.) द्वारा उर्तन नोर्थ अंडरग्राउण्ड कोयला खदान मय इंटीग्रेटेड कोल वॉशरी (अन्डरग्राउन्ड मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता टारगेट क्षमता 0.6000 एम.टी.पी.ए., पी.आर. सी. – 0.90 एम.टी.पी.ए, कोल वॉशरी 2.0 एम.टी.पी.ए., रकबा 475 हेक्टेयर, खसरा –लीज स्वीकृत आदेश अनुसार, ग्राम ठोडहा, बसखली, बसखला एवं मौहरी तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम नं. IA3-22/28/2022-1A.111(E 181584) दिनांक 13.12.2022 अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से 30 वर्ष तक मान्य रहेगी।

37. **प्रकरण क्र 9543/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जे. एम. एस माईनिग प्रा. लि. डांगफैंग इलेक्ट्रिक विल्डिंग, थर्ड फलोर प्रेमाईसेस न. –16 एम.ए.आर 1111 एक्सन ऐरिया 1–ए न्यू टाउन राजरहाट कोलकता (प.ब.) द्वारा उर्तन कोयला खदान (अन्डरग्राउन्ड मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता टारगेट क्षमता 0.6500 एम.टी.पी.ए. (पीक रेटेड क्षमता – 0.9570 एम.टी.पी.ए.), रकबा 379 हेक्टेयर, खसरा –लीज स्वीकृत आदेश अनुसार, ग्राम ठोडहा, बसखली, बसखला एवं मौहरी, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 619वी बैठक दिनांक 12.01.2023 में उक्त प्रकरण में मानक शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 773वी बैठक दिनांक 02.03.203 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रकरण को राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 770 बैठक दिनांक 02.02.2023 में विचारार्थ रखा गया। प्रकरण में चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक समस्त वैधानिक अनापत्तियों की जानकारी के साथ अनुमोदित खनन योजना के अनुरूप प्रस्तावित खनन प्रक्रिया में पर्यावरण सरंक्षण हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना के प्रस्तुतीकरण हेतु आगामी SEIAA बैठक अधिकृत पर्यावरण सलाहकार उपस्थित होंवे। तदानुसार संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक श्री कौशिक, जनरल मैनेजर जे.एम.एस. कोल माईनिंग अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार श्री सांतनु पुरानिक (मेसर्स सृष्टि सेवा प्रा.लि., नागपुर) साथ प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में प्रस्तुतीकरण किया गया ।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 776वी बैठक दिनांक 27.03.2023 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 770वीं बैठक दिनांक 02.02.2023 के निर्णयानुसार परियोजना प्रस्तावक प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुआ प्रस्तुतीकरण के उपरांत प्रस्तुत की गई जानकारी पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

I. *Coal bed methane available in the seams of coal mines should be collected and properly used ,as this is a valuable resource and also has global warming potential.In no case this should be ventilated freely to the environment.*

II. *All the transfer points both in mines and washery should be covered and equipped with adequate pollution control measures.*

III. *Zero discharge concepts to be followed.*

IV. *For the control of fugitive emission, wherever required water spraying should be done with permanent well laid pipeline system. Mobile water tankers is permitted but only to an extent where the permanent system is not workable.*

V. *Coal mine dewatering discharge is acidic in nature and contains various heavy metals and therefore needs careful handling. Firm commitment is required for its proper treatment, handling and reuse to attain zero discharge.*

VI. *Carbon footprint of mines and washery should be carefully calculated and adequately compensated with greening the area and other site specific and suitable measures.*

VII. *All the solid waste generated will be collected in pucca covered sheds and will be reused.*

VIII. *Commitment regarding strengthening of present transport and other available infrastructure and use of electrical and other green transport options to be explored and implemented.*

उपरोक्त बिन्दु क्र. i से viii के संबंध में लिखित प्रतिबद्धता (Written Commitment) के साथ विस्तृत जानकारी 15 दिवस में प्रस्तुत की जाये। तदानुसार प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वार ई–मेल दिनांक 24.03.2023 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी के संबंध में लिखित प्रतिबद्धता प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रतिबद्धता एवं SEAC की 619वी बैठक दिनांक 12.01.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24.03.2023 को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत प्रतिबद्धता का पूर्णतः परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**
2. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य लीज अनुबंध निष्पादन के उपरांत ही किया जायेगा।**
3. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा वायु, जल एवं ध्वनि की गुणवत्ता का निरंतर आकलन किये जाने हेतु उपयुक्त स्थलों पर कन्टीन्यूस मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट की स्थापना की जाये।**
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोल माईनिंग के प्रदूषणकारी स्थानों पर जल, वायु, ध्वनि एवं भूमि प्रदूषण नियंत्रण हेतु समुचित व्यवस्था की जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

5. कोयला खनन प्रक्रिया से उत्पन्न कोलबेड मिथेन का अधिकतम पुनः उपयोग सुनिश्चित किया जाये तथा किसी भी परिस्थिति में इसे वातावरण में सीधे न छोड़ा जाये।

6. कोयला खदान एवं घरेलू व अन्य कारणों से उत्पन्न दूषित जल का निर्धारित मानकों के अनुरूप उपचार कर अधिकतम पुनः उपयोग सुनिश्चित किया जाये, जिसमें जल की गुणवत्ता अनुसार हैवी मैटल्स के उपचार की समुचित व्यवस्था हो।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी वादों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Green Mining Concept को जहां तक हो सके कोल माईनिंग के Process में लागू किया जाये।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना से प्रभावित होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में SEAC ,द्वारा अनुशंसित कार्यों के साथ–साथ अतिरिक्त सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का भी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

    - ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
    - ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जे. एम. एस माईनिग प्रा. लि. डोंगफैंग इलेक्ट्रिक विल्डिंग, थर्ड फलोर प्रेमाईसेस न. –16 एम.ए.आर 1111 एक्सन ऐरिया 1–ए न्यू टाउन राजरहाट कोलकता (प.ब.) द्वारा उर्तन कोयला खदान (अन्डरग्राउन्ड मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता टारगेट क्षमता 0.6500 एम.टी.पी. ए. (पीक रेटेड क्षमता – 0.9570 एम.टी.पी.ए.), रकबा 379 हेक्टेयर, खसरा –लीज स्वीकृत आदेश अनुसार, ग्राम ठोडहा, बसखली, बसखला एवं मौहरी, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम नं. IA3-22/28/2022-1A.111(E 181584) दिनांक 13.12.2022 अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से 30 वर्ष तक मान्य रहेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परिशिष्ट–1

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्ते:

19. **संबंधित जिले के जिला खनिज अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित खदान हेतु उल्लेखित खनिज की कुल मात्रा से अधिक का उत्खनन न हो।**
20. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एंन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारो ओर की जाये।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
26. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
27. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
29. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

32. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

33. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

34. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

35. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

37. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

38. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

39. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

40. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

41. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :–

42. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा
43. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
44. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

परिशिष्ट–2

मुख्य खनिज श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
6. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

9. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
12. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
13. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
14. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में अपशिष्ठ दृव्य (Waste Water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।
16. परियोजना प्रस्तावक खदान के समीपस्थ (1 किलोमीटर की परिधि में) क्षेत्र में स्थित ट्यूबवैल, बोरवैल, कुओं/बावड़ीयों के जल की गुणवत्ता का प्रत्येक छः माह में आकलन कर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगत Zero Discharge पद्धति आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का आकलन प्रत्येक छः माह में किया जाकर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान परिसर एवं परिवहन/पहुंच मार्ग पर प्रतिदिन दो बार पानी का छिड़काव किया जायेगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार खदान में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों का शासकीय चिकित्सालय से समन्वय कर चिकित्सा परीक्षण करवाया जायेगा।
22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

23. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

25. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

28. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

29. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष